Regn. 14698/10

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

भारत

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

99AA 926101

प्रमाणित किया जाता है कि रूपये 10/- मात्र का स्टाम्प नकल संख्या .14698./2010 के साथ संलग्न किया गया है, जो दिनांक 20/10/10 से बही नम्बर .IV. की जिल्द नम्बर ...389 के सुफे 83/104...के दस्तावेज़ नम्बर .461....की सत्य एंव प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसे आज दिनांक..16/11/10..को सब रजिस्ट्रार कार्यालय, मेरठ अभिलेखागार से नकल के रूप मे जारी की गयी है।

अभिलेखपाल
अभिलेखागार कार्यालय
मेरठ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

N-240996

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ओ३म्-संशोधित ट्रस्ट डीड (Rectified Trust Deed)

(अनुसूचि 1, 64 का The Indian Stamp Act 1899)

स्टाम्प शुल्क अंकन 1,000/- रुपये।

हम कि ब्रजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह व अमर आत्मजात पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह निवासीगण ए-217 डिफेन्स कालोनी मवाना रोड मेरठ के है जिन्हें व्यवस्थापक/न्यासीगण कहा गया है। जिन्हे आगे न्यासीगण कहा गया है। इसी कम में समाज की सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है व थी जिसके लिए श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेश पाल सिंह निवासी 209 शिव लोकपुरी कंकरखेडा मेरठ व श्रीमती इन्द्रा सिंह धर्मपत्नी श्री सुन्दर पाल सिंह निवासी 155/1 जागृति विहार मेडिकल कालिज के पास, मेरठ व श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह निवासी 137डी साकेत कालोनी मेरठ व श्री ब्रजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह निवासी ए-217 डिफेन्स कालोनी मेरठ शहर ने व्यवस्थापकों के रुप में "श्री शिव वैंकटेश्वर एजूकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर ट्रस्ट" (Shri Shiv Venkateshwar Educational & Social Welfare Trust)

इन्द्रा सिंह

इन्द्रा सिंह

दिनाक 18-10-2007 ई० को स्थापित किया है/था। किन्तु उपरोक्त डीड में कुछ धाराओ को सर्वसम्मति से हटाने के लिये अथवा भाषा परिवर्तन करने के लिये एक पूरक डीड दिनांक 12-11-2009 को सब रजिस्टार मेरठ प्रथम के यहां दिनांक 23-11-2009 को बही नं० 4 जिल्द 273 पृष्ठ 113/138 में नम्बर 516 पर रजिस्टर्ड कराई गयी थी किन्तु उपरोक्त दिनांकित 12-11-2009/23-11-2009 डीड की कुछ धाराओ में त्रुटि रहने के कारण व सर्व श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेश पाल निवासी 209 शिवलोक पुरी कंकर खेडा मेरठ व श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह निवासी 137डी साकेत कालौनी मेरठ व श्रीमती इन्द्रा सिंह धर्मपत्नी श्री सुन्दर पाल सिंह निवासी 155/1 जागृति विहार मेडिकल कालिज के पास, मेरठ इस ट्रस्ट से पूर्व में त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से हटने के कारण संशोधन किया जा रहा है अतः उक्त डीड संशोधित करके रजिस्टर्ड कराई जा रही है इस डीड के सभी ट्रस्टीगण भविष्य में पाबन्द रहेंगे व सर्व श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेश पाल निवासी 209 शिवलोक पुरी कंकर खेडा मेरठ व श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह निवासी 137डी साकेत कालौनी मेरठ व श्रीमती इन्द्रा सिंह धर्मपत्नी श्री सुन्दर पाल सिंह निवासी 155/1 जागृति विहार मेडिकल कालिज के पास, मेरठ क्योकि इस ट्रस्ट से पूर्व में त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग हट गये है और उनका कोई सरोकार किसी भी प्रकार का इस ट्रस्ट से नही रह गया है अतः सर्व श्री विजेन्द्र सिंह व चन्द्रवीर सिंह व श्रीमंती इन्द्रा सिंह उपरोक्त इस ट्रस्ट से हटने की अपनी रजामन्दी के रूप में इस संशोधित ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर कर रहे है। यह डीड पिछली डीड का भाग एवं पूरक रहेगी यही डीड भविष्य में मान्य रहेगी तथा सभी ट्रस्टीगण भविष्य में इसके पाबन्द रहेंगे-

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 10,000/- दस हजार रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की है और उक्त उददेश्यो की पूर्ति हेतु

व्यवस्थापको ने उक्त राशि अंकन 10,000/- दस हजार रूपये हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गई शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेगें। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते है कि:-

1- यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम "**श्री शिव वैंकेटश्वर एजूकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर ट्रस्ट**" (**Shri Shiv Venkateshwar Educational & Social Welfare Trust**) होगा। और यह एक प्राईवेट सोशल व एजुकेशनल ट्रस्ट होगा।

2- यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय मकान नम्बर A-217 डिफेन्स कालौनी मवाना रोड मेरठ होगा लेकिन ट्रस्टीगण को यह पूरा अधिकार होगा कि वह उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्टीयो की सहमति से उपरोक्त स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर स्थान्तरित कर सकते है।

3- यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 10,000/- दस हजार रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य मे ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद धनराशि, निवेश धन, दान, अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय समय पर प्राप्त हो, को धारण करेगे तथा उक्त ट्रस्ट की भूतकाल में प्राप्त या भविष्य में प्राप्त होने वाली चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गई शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेगे।

4- यह कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा सर्वधन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं एवं कार्यशालाओं की स्थापना व संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतू धारण करेगे तथा न्यासीगण को आवश्यकतानुसार समय समय पर न्यास के उददेश्यो में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5- यह कि ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिए न्यासीगण समय समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओ, व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6- यह कि उपरोक्त उद्ददेश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उददेश्यों मे से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा मे चाहे स्र्वागीण रूप में पूर्व रूप से प्रयोग कर सकते है।

ट्रस्ट के उददेश्य एवं कार्य

1- मेडिकल कालिज, डेन्टल कालिज, एवं अस्पताल व विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

2- इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना।

3- स्कूल, कालिज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व संचालन करना। सभी प्रकार के स्नातक एवं परास्नातक प्रबन्धन आदि के शिक्षा सम्बन्धी सभी कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना एवं संचालन करना।

4- शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु पूर्ण रूप से प्रयास करना।

5- शिक्षा सम्बन्धित पुस्तको का गरीब बच्चो में निशुल्क वितरण, लाईब्रेरी रीडिंग रूम तथा हास्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

6- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति, शिक्षण सहायता आदि प्रदान करना, तथा इसके लिये सरकार से सहायता प्राप्त करके बच्चो को देना।

7- अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

8- प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों मे पेड़ लगाना जिससे प्रदूषण कम हो तथा वृक्षारोपण करना।

इन्द्रसिंह

इन्द्रसिंह

21

9- निरीह प्राणियों, पशुओं एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

10- स्कूल व कालिजो में छात्रों/छात्राओं को पर्यावरण एवं एडस रोग के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

11- समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।

12- ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

13- वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

न्यास ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र

1- यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

न्यासीगण/ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति

1- यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर मे कभी भी या किसी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2- यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यो मे से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

3- यह कि व्यवस्थापको /ट्रस्टी के ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतू अपने में से अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यान्त होगा। तथा

इन्द्रा सिंह

इन्द्रा सिंह

83

समय से पहले भी अध्यक्ष एवं सचिव बाकी पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकते हैं निवर्तमान पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है। अध्यक्ष एवं सचिव के बाद उनके सगे रक्त सम्बन्धी परिवारगण ही आगे अध्यक्ष या सचिव चुने जा सकेंगे।

4- यह कि श्री ब्रजवीर सिंह उपरोक्त संशोधित ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व श्री अमर अहलावत उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होगे।

5- यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगे:-

<u>अध्यक्षः-</u> ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक नियत समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से सभी काननूी कार्यवाही पूर्ण करना।

सचिवः- ट्रस्ट की बैठकों मे पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशो को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर अध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख रखाव उनकी सुरक्षा करना।

6- यह कि ट्रस्ट के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे-न्यायालय प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेगे। किसी महत्त्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी सर्व सम्मत्ति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेगे, अगर कभी निर्णय में विषमता होती है तो अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम होगा।

इन्द्रा सिंह

इन्द्रा सिंह

88

7- यह कि ट्रस्टीगण समय समय पर सामाजिक, धार्मिक व परमार्थ के कार्यो के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु अपने विवेकानुसार प्रबन्ध समिति जिसमें से वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी अथवा अन्य व्यक्ति /व्यक्तियो को नियुक्त करने का अधिकार होगा ट्रस्टी एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यो, एवं उददेश्यों की पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे से प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव ऐसी समस्त प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव होगे। इस क्रम में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

8- यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने का एवं उनको हटाने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्ट के नियमो व उददेश्यो में परिवर्तन का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा नये ट्रस्टी सदस्यो को नियुक्ति एवं निष्कासन के लिये बोर्ड की सहमति आवश्यक होगी उसके लिये बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक होगा परन्तु अन्तिम निर्णय अध्यक्ष का होगा।

9- यह कि उपरोक्त ट्रस्ट की बैठक साल मे कम से कम एक बार आवश्य होगी।

10- यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यो मे अध्यक्ष की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

11- यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ट्रस्ट फंड में सम्मिलित किसी भी राशि अथवा सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु उनका रखरखाव एवं निदान ट्रस्टीगण करेंगे। एवं करने मे हुई किसी भी हानि के लिये वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नही होंगे।

इन्द्रा सिंह

इन्द्रा सिंह

12- यह कि अध्यक्ष ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग/ओवर ड्राफ्ट या किसी भी बैंकिंग खाते को खोल तथा रख सकते है। उक्त सभी उक्त बैंकिंग खातों का संचालन अथवा भविष्य में अध्यक्ष के हस्ताक्षरो द्वारा किया जायेगा।

13- यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का उचित तरीके से हिसाब रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व वार्षिक चिटठा बनायेगें जो कि अध्यक्ष, सचिव द्वारा हस्तान्तरित किया जायेगा एवं चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट कराया जायेगा।

14- यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

15- यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतू किन्ही भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगे तथा वे शर्त जो ट्रस्ट के उददेश्यो एव हितो के विपरीत न होगी प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व या किराये पर अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने का विक्रय करने, किराये पर देने हस्तांतरित करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ऐसा करने में ट्रस्ट के नाम से तथा उददेश्यो में से रिक्त होने का अधिकार बिल्कुल नही होगा, तथा ट्रस्ट के द्वारा क्रय की गई को भी भूमि/सम्पत्ति ट्रस्ट की भूमि/सम्पत्ति होगी।

16- यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिए समय समय पर व्यक्तिगत/वित्तीय संस्थाओं /फार्मो/बैंक आदि से उधार/ऋण आदि लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतु उधार/ऋण/ बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधि कार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियो को विक्रय करने का अधिकार भी अध्यक्ष को होगा।

इन्द्रा सिंह

इन्द्रा सिंह

17- यह कि एदतद्धारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने मे असमर्थ रहते है तो ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्तियों को निस्तारण करके ट्रस्ट की सभी देनदारियों व भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन किया जा सकता है। उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापकगण/ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किये हैं।

इन्द्रा सिंह

Puneet Sharma
S/o R.K. Sharma
Multan Nagar
Meerut.

लिखित दिनांक **11-10-2010** ई०- मसविदा व फोटो सत्यापान श्री अरूण शर्मा एडवोकेट मेरट।।

इन्द्रा सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री बिजेन्द्र सिंह

पुत्र श्री सुरेश पाल सिंह

पेशा

निवासी 209 शिव लोक पुरी मेरठ

व श्रीमती इन्द्रा सिंह

पत्नी श्री सुन्दर पाल सिंह

पेशा अन्य

निवासी 155/1 जागृति विहार मेरठ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(अजय कुमार त्रिपाठी)
सब रजिस्ट्रार
मेरठ, (प्रथम) ।
20/10/2010

(10)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

ब्रजवीर सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेर सिंह

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

दाहिने हाथ की अंगुलियो के चिन्हः-

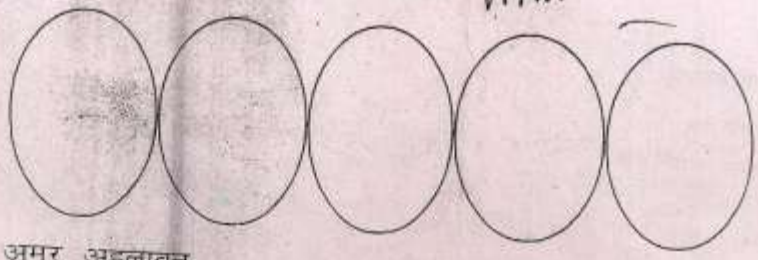

अमर अहलावत

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

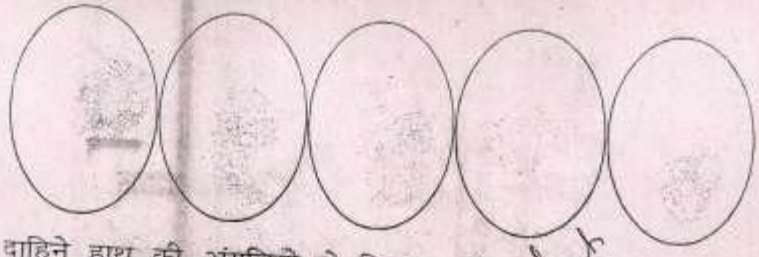

दाहिने हाथ की अंगुलियो के चिन्हः-

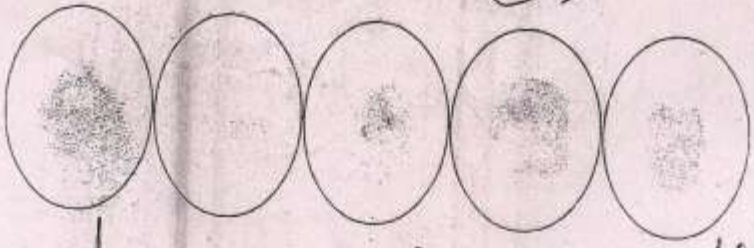

इन्द्रा सिंह

न्यासी

Registration No.: 461 Year : 2,010 Book No. : 4

0101 ब्रज वीर सिंह

सुमेर सिंह

ए 217 डिफेन्स कालोनी मेरठ

व्यापार

0102 अमर अहलावत

ब्रजवीर सिंह

डिफेन्स कालोनी मेरठ

बिजेन्द्र सिंह

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

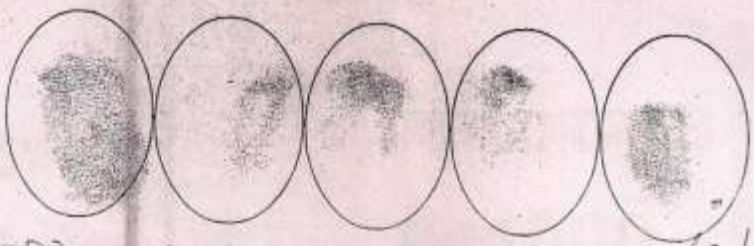

दाहिने हाथ की अंगुलियो के चिन्हः-

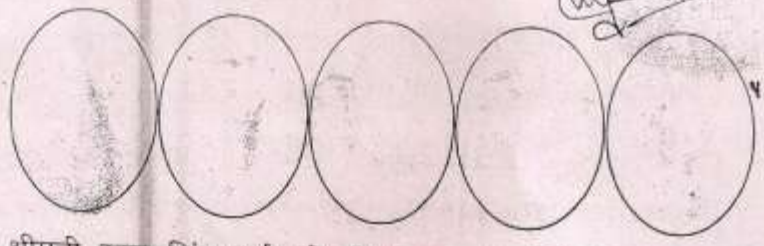

श्रीमती इन्द्रा सिंह धर्मपत्नी श्री सुन्दर पाल सिंह निवासी 155/1 जागृति विहार मेडिकल कालिज के पास, मेरठ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

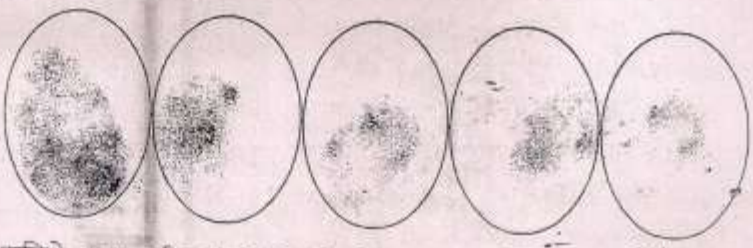

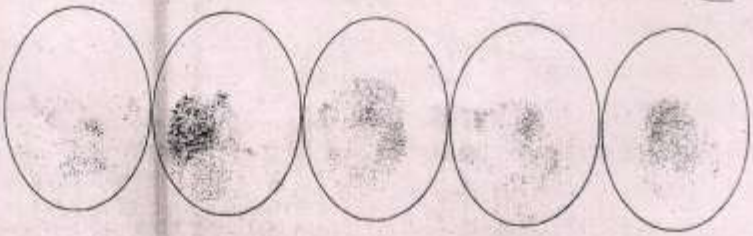

दाहिने हाथ की अंगुलियो के चिन्हः- इन्द्रा सिंह

इन्द्रा सिंह

आज दिनांक **20/10/2010** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **389**

पृष्ठ सं. **83** से **104** पर क्रमांक **461**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(अजय कुमार त्रिपाठी)

प्रव रजिस्ट्रार

मेरठ, (प्रथम) ।

20/10/2010

सत्य प्रतिलिपि

6/11/10

अभिलेखपाल

अभिलेखागार कार्यालय

उपनिबन्धक प्रथम

नगर मेरठ